भाजपा फिर से

राजस्थान गौरव संकल्प

2018

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान प्रदेश

अजेय भारत

अटल भाजपा

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान प्रदेश

विधानसभा चुनाव 2018

राजस्थान गौरव संकल्प 2018

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण		पेज संख्या
1.	प्रदेशवासियों के लिए संदेश – श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान		3
2.	प्रदेशाध्यक्ष श्री मदनलाल सैनी का संदेश		5
3.	जो कहा वो किया – श्री राजेन्द्र राठौड़		7
4.	गौरव संकल्प 2018		9
	1.	कृषि क्षेत्र	13
	2.	शिक्षा क्षेत्र	16
	3.	सामाजिक क्षेत्र	18
	4.	युवाओं के लिए	23
	5.	रोजगार हेतु	25
	6.	महिला सशक्तिकरण	27
	7.	कर्मचारियों के लिए	29
	8.	श्रम कल्याण क्षेत्र	31
	9.	आर्थिक एवं संरचनात्मक विकास क्षेत्र	32
	10.	ग्रामीण क्षेत्र	34
	11.	सूचना व तकनीक	35
	12.	वरिष्ठ नागरिकों हेतु	35
	13.	पर्यटन, संस्कृति व कला	35
	14.	शहीदों एवं पूर्व सैनिकों हेतु	37
	15.	उद्योगों हेतु	38
	16.	पशुपालन	40
	17.	पत्रकार कल्याण	42
	18.	चिकित्सा व स्वास्थ्य	43
	19.	सुशासन	44
	20.	अन्य क्षेत्रों में	45
		भाजपा गौरव संकल्प समिति – 2018	48

सन्देश

पूज्य प्रदेशवासियों,

नमस्कार!

राजस्थान को देश का सबसे खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए भाजपा का "गौरव संकल्प 2018" आपको समर्पित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

पांच साल पहले आपने हमें भरपूर स्नेह के साथ सेवा का अवसर दिया था। अनेक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भाजपा सरकार ने राजस्थान को एक समृद्ध प्रदेश बनाने का अथक प्रयास किया। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि आज हमारा प्रदेश तरक्की के कई सोपान चढ़कर विकास के कई क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बन चुका है।

हमने वादा किया था कि हम हर उस व्यक्ति के घर में खुशहाली के दीप जलाएंगे, जिसके घर में अब तक भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। हमने इस वादे पर खरा उतरने का पूर्ण मनोयोग से संकल्पित प्रयास किया हैं। विधानसभा चुनाव 2013 में प्रदेश की जनता को समर्पित 'सुराज संकल्प' पत्र में किये गये संकल्पों को हमने पूरा किया है। आज राजस्थान के विकास की निखरी हुई तस्वीर आपके समक्ष है।

पांच साल पहले जो प्रदेश पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत पीछे था, वह आज इन क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर है। विकास के कई क्षेत्रों में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। हमारे कई नवाचार देश में नजीर बने हैं। पांच वर्ष के इस अल्प कालखण्ड में प्रदेश की जो तरक्की हुई है, वह हमारा विपक्षी दल अपने 50 साल के कार्यकाल में नहीं कर सका। किन्तु विकास के इस सफर को हमें और आगे बढ़ाना है। प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ते राजस्थान को आपके सहयोग, समर्थन और साथ से अधिक सम्पन्न, समृद्ध तथा समर्थ बनाकर देश का सिरमौर बनाना है।

हमने विकास यात्रा को प्रारम्भ कर गत 5 वर्षों में प्रदेशवासियों को खुशहाल बनाने का हर संभव प्रयास किया है। सबके सपनों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप और हम मिलकर इस यात्रा को निरन्तर जारी रखें।

अब कैसा हो हमारा राजस्थान ? कैसे हों हर राजस्थानी के अधूरे सपने साकार ? कैसे बढ़े हमारे सूबे की प्रगति की रफ्तार ? इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए हमने भाजपा का "गौरव संकल्प 2018" बनाया है।

यह पवित्र दस्तावेज एक औपचारिक चुनावी घोषणा पत्र ही नहीं है, ये राजस्थान के गौरव का ग्रंथ है, जिसमें हर व्यक्ति की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक सुनियोजित रोड मैप तैयार किया गया है। राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य का एक खाका तैयार किया है। हमारी कोशिश है कि प्रदेशवासियों के अरमानों को पूरा करने के लिए बनाए गए इस गौरव संकल्प 2018 के माध्यम से सबका साथ–सबका विकास की भावना से समान विचार, समान विकास की बात हो।।

इस "गौरव संकल्प 2018" में हमने प्रदेश के साढ़े सात करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। जिस तरह से सुराज संकल्प पत्र को हमने एक पवित्र ग्रंथ मानकर उसके एक–एक शब्द को जनता का आदेश समझा उसी तरह "गौरव संकल्प 2018 में किए गए वादों को भी हम अक्षरशः पूरा करेंगे। भाजपा का यह "गौरव संकल्प 2018" माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में जहां एक ओर विकास के हमारे संकल्प को ताकत देने का काम करेगा, वहीं सम्पूर्ण समाज की उन्नति के साथ–साथ प्रदेश के अनवरत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

मैं आशा करती हूँ कि टीम राजस्थान 36 की 36 कौमों को साथ लेकर राजस्थान को उन्नति के शिखर पर पहुँचाएगी, जिस पर प्रत्येक स्वाभिमानी राजस्थानी और गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके जीवन को खुशियों से सराबोर करे।

तो आओ साथ चलें–साथ बढ़े।

आपकी

वसुन्धरा राजे

सन्देश

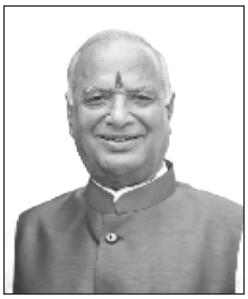

प्रिय प्रदेश वासियों।

❖ मुझे आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने पांच वर्ष पूर्व 'सुराज संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे आपसे किये थे, उन्हे हमने पूरा किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किये हैं। यह सफलता आपके सहयोग एवं विश्वास का ही प्रतिफल है किन्तु अभी हमें प्रगति के सोपानों को और आगे ले जाना है। इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया। विरासत में मिले आर्थिक संकट से राजस्थान को उबारा है और विकास की एक नई इमारत खड़ी की। 13 दिसंबर, 2013 से प्रारम्भ यह विकास यात्रा अनवरत रूप से जारी है। आज कई क्षेत्रों में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी है।

❖ महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में भामाशाह योजना प्रारम्भ की। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल डवलपमेण्ट कार्यक्रम चलाया गया। जनता को राहत देने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया गया। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण की अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं। ग्रामीण विकास के लिए "ग्रामीण गौरव पथ" योजना शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहरों को सड़कों से जोड़ा तथा प्रदेश में भाजपा सरकार ने उन्हीं सड़कों को गांवो तक जोड़ा। मुख्यमंत्री की पहल पर जल संकट के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश भर में चरणबद्ध चलाए गये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संग्रहण के अनेक पुख्ता काम हुए है जिसका परिणाम यह रहा कि कई गांव जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुए और जल समस्या का समाधान हुआ।

❖ प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की तथा करीब तीस लाख किसानों के पचास हजार तक के ऋण माफ करने की ऐतिहासिक योजना लागू की।

❖ जनता से सीधा सम्पर्क करने के उद्देश्य से संभाग स्तर पर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया गया। वर्षों से लंबित न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया

गया, जिसे यत्र–तत्र सर्वत्र प्रशंसा मिली। स्वच्छ भारत स्वच्छ राजस्थान के मिशन को सभी के सहयोग से पूर्ण किया गया। हमारी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान पिछड़े एवं कमजोर वर्गों, युवाओं, महिलाओं, अल्प संख्यकों, अनुसूचित जाति–जन जाति, किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को नया मोड़ दिया गया।

❖ राजस्थान विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़े, विकास का उजाला हर घर तक पहुँचे। आपके साथ से प्रदेश में आशा और विश्वास की ऐसी अविरल धारा प्रवाहित होगी जो स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त और समृद्ध राजस्थान के निर्माण का हमारा सपना पूरा करेगी।

❖ राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। आपका सहयोग और समर्थन आने वाले 7 दिसंबर, 2018 को राजस्थान की विकास यात्रा को और अधिक आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हमें विजय दिलायेगा। हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। आपके और हमारे प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका सहयोग–समर्थन आवश्यक है।

इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः अभिवादन !!

मदनलाल सैनी

प्रदेशाध्यक्ष भाजपा

''जो कहा वो किया''

यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में जो कहा वो करके दिखाया हैं। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेशवासियों से किये गये हर वादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये गये और यह बताते हुए गर्व है कि हमने आमजन के आशीर्वाद से समस्त संकल्पों और वादों को प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा किया है।

हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2013 के "सुराज संकल्प" में किये वादों / घोषणाओं में से लगभग 95 प्रतिशत पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। पवित्र दस्तावेज ''सुराज संकल्प'' हमारे शासन का आधार और मार्गदर्शक रहा है। हमें ''गौरव संकल्प 2018'' द्वारा आगामी 5 वर्ष के लिए आप द्वारा दिये गये दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना है। यह सुचिंतित, सुनियोजित और दूरदर्शी दस्तावेज सपने देखने ही नहीं उन्हें हकीकत में बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

गत 5 वर्षों में बीमारू प्रदेश माने जाने वाले राजस्थान ने विकास की गति पकड़ी है। विकास के स्थापित हुए नये मानदण्डों को आमजन के आर्शीवाद से हम अगले 5 वर्षों में और तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते है। विकास पर हमने गत कांग्रेस सरकार से तिगुनी राशि व्यय की है। गत कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में कुल 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये व्यय किये थे वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने 4 लाख 25 हजार करोड़ रूपये खर्च किये है।

सुशासन के कारण राज्य को 2017–18 व 2018–19 में लगातार 2 वर्ष Best e-Governance State का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017–18 में माननीय मुख्यमंत्री जी को **Best Chief Minister of the Year** का अवार्ड मिला।

Global Warming तथा Climate Change के खतरों को देखते हुऐ सौर ऊर्जा पर विशेष बल देने के परिणाम स्वरूप राज्य की सौर ऊर्जा पॉलिसी को प्लेटिनम श्रेणी में **SKOCH** अवार्ड प्राप्त हुआ।

अंतिम आदमी को रोजगार दिलाने वाली योजना महात्मा गांधी नरेगा में राज्य को 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लगातार 3 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में राजस्थान को गोल्ड ट्रॉफी मिली है। झुंझुनू जिले को वर्ष 2016–17 में "बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ।

वर्ष 2016 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु प्रथम पुरस्कार तथा अक्षय ऊर्जा के उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत बगडावंत को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राजीविका को कन्वर्जेस हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए।

पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को अर्न्तराष्ट्रीय सम्मान मिले । ट्रेवल एशिया द्वारा राजस्थान को एशिया में **Best Tourist Destination** के रूप में चुना गया । Pacific Area Travel Writers Association द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स को पुरस्कृत किया गया।

राज्य की औद्योगिक नीति व उद्यमियों को विभिन्न नियमों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाने वाली रियायतों के सुखद परिणाम भी सामने आये। Resurgant Rajasthan के माध्यम से 3 लाख 48 हजार करोड़ के उद्योग स्थापित करने के लिए MoU किये गये थे उनमें से अधिकांश उद्योग स्थापित हो चुके है / प्रक्रियाधीन है।

अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2018 को कोटा में 1 लाख 5 हजार से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ योग करने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार अनेक अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों द्वारा समय–समय पर राज्य की उपलब्धियों की प्रंशसा की गई।

यह सब सुशासन का परिणाम रहा कि राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ा, अमनचैन कायम रहा, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई तथा राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानों को दर्शाने वाले सूचकांकों (Indicators) में आशातीत सुधार हुआ।

विकास को इसी तरह गतिमान बनाये रखकर सुशासन से राज्य में खुशहाली लाने हेतु राज्य के आगामी 5 वर्षों का रोडमैप "गौरव संकल्प 2018'' आपके समक्ष प्रस्तुत हैं।

आपका

राजेन्द्र राठौड़

"गौरव संकल्प 2018"

सम्मानित प्रदेश वासियों।

राजस्थान की महान जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर्पित यह "गौरव संकल्प 2018" सहर्ष प्रस्तुत है। यह वादों और घोषणाओं का मात्र दस्तावेज नहीं वरन हमारी आगामी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण आधार है।

"सबका साथ–सबका विकास" के मूलमंत्र को दृष्टिगत रखते हुये हमने इस गौरव ग्रंथ में "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की भावना के साथ विकास का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी एवं समावेशी सोच पर आधारित है।

गत कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार के खर्च के आंकड़ो की तुलना स्वयं में ही स्पष्ट कर देती है कि वर्तमान सरकार ने कितना अधिक कार्य किया है–

क्र.	योजना	भाजपा 5 साल	कांग्रेस 5 साल
1	सड़को के विकास पर व्यय	49,500 करोड़	15,000 करोड़
2	ग्रा. वि. एवं पं. राज की योजनाओं में व्यय	52,000 करोड़	36,000 करोड़
3	कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं पर व्यय	6,500 करोड़	4,300 करोड़
4	पेयजल पर व्यय	22,000 करोड़	12,200 करोड
5	सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय	8,200 करोड़	3,600 करोड
6	विद्युत पर व्यय	1,35,000 करोड़ (उदय योजना सहित)	36,000 करोड़

आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने से निवेश में वृद्धि हुई है तथा रोजगार सृजन होने के साथ ही विकास को गति मिली है। विकास का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए समावेशी विकास की अवधारणा के साथ आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से प्रेरित हो कर बिना किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को सार्थक करते हुए सबके विकास का प्रयास किया है। आमजन के जीवन को सुखमय तथा खुशहाल बनाकर समाज के हर संवर्ग का **Happiness Index** बढ़ाने के प्रभावी प्रयास किये गये है।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 16 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 51 लाख युवाओं को 35 हजार

करोड़ से अधिक रूपये का ऋण दिया गया है। स्टार्टअप्स (Start-ups) के लिए कुल 650 करोड़ रूपये का फण्ड बनाया गया है व भामाशाह टेक्नो हब (Bhamashah Techno Hub) का निर्माण किया गया है।

हमारी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 29 लाख 30 हजार किसानों का 8 हजार 400 करोड़ रूपये का रिकार्ड फसली ऋण माफ किया है। रबी के मौसम से 4 लाख 33 हजार किसानों की लगभग 5 हजार करोड़ रूपये मूल्य की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। नया ऋण लेने वाले किसानों को 10 लाख रूपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश के तीन शहरों में ग्लोबल एग्रीटेक मीट (Global Rajasthan Agri-Tech Meet – GRAM) का आयोजन किया गया।

ऊर्जा प्रगति का आधार है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया है। प्रदेश में 1580 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 1619 मेगावाट सौर ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ कर नया रिकार्ड कायम किया गया। किसानों को 33 हजार करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है वहीं दूसरी ओर किसानों को कृषि हेतु देय विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता बरकरार रखी गई। पांच वर्ष के शासनकाल में कृषि की विद्युत दरों में कोई बढोत्तरी नहीं की गई। इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन पर 10 हजार रूपये प्रति वर्ष की बिजली मुफ्त दी जा रही है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे लगभग 3.50 लाख अविद्युतीकृत घरों को जिनमें ग्रिड से बिजली उपलब्ध करवाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है, को सोलर होम लाईटिंग सिस्टम से विद्युतीकृत किया जायेगा। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 200 वॉट का सोलर होम लाईटिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया जायेगा ताकि राज्य के शत–प्रतिशत घरों को विद्युतीकृत किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की देश की सबसे बड़ी DBT – Direct Benefit Transfer व्यवस्था भामाशाह योजना के तहत सरकारी योजनाओं की 23 हजार करोड़ रूपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है।

साथ ही 35 हजार बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट (Banking Correspondent – BCs) के माध्यम से घर के पास ही पैसे निकलवाने की सुविधाएं दी जा रही है।

भामाशाह डिजिटल परिवार योजनान्तर्गत डिजिटल समावेशन प्रोग्राम के तहत पात्र 1 करोड़ परिवारों को इंटरनेट (Internet) सेवा युक्त स्मार्ट फोन (Smart Phone) खरीदने के लिए सीधे महिला लाभार्थियों के खाते में 1 हजार रूपये 2 किस्तों में जमा कराने की योजना लागू की गई है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्तियों का 2 लाख तक का ऋण माफ किया गया है।

प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 3 लाख 30 हजार रूपये का बीमा कवर प्रदान कर कैशलैस इंडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना द्वारा 27 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क इंडोर उपचार उपलब्ध करवाया जा चुका है।

स्कूली शिक्षा में सुधार के परिणाम स्वरूप राजकीय विद्यालयों में 18 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ा है। विगत कांग्रेस शासन में शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान 26वें स्थान पर था सरकार की शानदार शिक्षा नीति व कार्यक्रम का परिणाम रहा कि राजस्थान अब देश में दूसरे स्थान पर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार का ध्येय रहा। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 1 लाख 3 हजार नये शिक्षकों की भर्ती पूर्ण की जा चुकी है एवं 47 हजार शिक्षकों की भर्तियां प्रारम्भ की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से 6 हजार 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रारम्भ की गई राजश्री योजना के माध्यम से प्रथम कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की 11.50 लाख बालिकाओं को विभिन्न चरणों में 50 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

प्रदेश के गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए अभूतपूर्व प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ किया गया। इस अभियान के तहत 12 हजार गांवों में 3 चरणों में 3 लाख 80 जलग्रहण ढांचे बनाने के साथ ही 1 लाख 48 हजार पेड़ लगाकर पर्यावरण शुद्धता में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

हमारे कार्यकाल में 22 हजार किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण करने के साथ ही 6 हजार 600 गांवों में **Cemented** ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण करवाया गया है। 45 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को सुधारा गया है।

वर्षों से लम्बित मामलों को राजस्व लोक अदालत के कार्यक्रम न्याय आपके द्वार के माध्यम से 4 चरणों में 58 हजार से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 42 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 6 लाख 75 हजार आवासों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 13 लाख तथा शहरों में 2 लाख 19 हजार घर स्वीकृत कर राजस्थान अग्रणी प्रदेश है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख घरों का निर्माण कर आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाये गये।

वर्तमान सरकार द्वारा अर्जित उपलब्धियों की पिछले 50 साल तक की उपलब्धियों से तुलना

क्र.सं.		पिछले 50 साल की उपलब्धि	वर्तमान सरकार की उपलब्धि	वृद्धि
1.	ई–मित्र	6000	55,000	900%
2.	शौचालय निर्माण	25.80 लाख	79.30 लाख	310%
3.	सौर ऊर्जा उत्पादन	667 मेगावाट	1618 मेगावाट	240%
4.	ग्रामों/ढ़ाणियों को सतही पेयजल से जोड़ा	4900	10,000	200%
5.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	4418	6500	150%
6.	पशु उपकेन्द्र	2164	3107	140%
7.	वृहद पेयजल परियोजना पूर्ण	27	36	133%
8.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाऐं	46	55	120%
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग	7260 किमी	8178 किमी (5128 किमी सैद्धान्तिक सहमति जोडते हुए)	110%
10.	शहर/कस्बों को सतही पेयजल से जोड़ा	38	37	97%
11.	आईटीआई	1013	958	95%
12.	मेडिकल कॉलेज (सरकारी)	7	7	100%
13.	मेडिकल कॉलेज में स्नातक सीट	1850	1250	70%
14.	पवन ऊर्जा	2710 मेगावाट	1581 मेगावाट	60%
15.	विद्युत उत्पादन	12820 मेगावाट	7427 मेगावाट	58%
16.	राजकीय महाविद्यालय	171	81	47%
17.	राजकीय विद्यालय में नामांकन	91.64 लाख	18.12 लाख (कुल नामांकन 109.76 लाख)	20%

1. कृषि क्षेत्र

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु रखे गये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के सभी किसानों को फसलों के लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य में एम.एस.पी. (MSP) खरीद की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ किया जायेगा।

- किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रूपये का ग्रामीण स्टार्ट–अप फण्ड स्थापित किया जायेगा।

- सहकारी कृषि ऋण के विस्तार हेतु नये सदस्यों को ऋण देने के लिए अभियान चलाया जाकर 1 लाख करोड़ रूपये के सहकारी ऋण 5 वर्ष में प्रदान किए जाएंगे।

- ऋण राहत आयोग की बेंच प्रत्येक संभाग में स्थापित कर क्रियाशील की जायेगी।

- लघु व सीमान्त किसानों को कृषि हेतु मशीनरी व उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग योजना का विस्तार किया जायेगा।

- लघु व सीमान्त किसानों के द्वारा रखे गए मवेशियों व दुधारू गायों का राजकीय पशु चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार किया जायेगा तथा इनके इलाज हेतु मोबाईल क्लीनिक भी शुरू किए जायेंगे।

- प्रतिवर्ष 1000 किसानो को "चीफ मिनिस्टर फैलोशिप फॉर एग्रीकल्चर" के अन्तर्गत इजरायल व अन्य देशों में कृषि के क्षेत्र में "बेस्ट प्रैक्टिसेज' को देखने व समझने के लिए दौरे करवाये जायेगें।

- हर जिला मुख्यालय पर ऑर्गेनिक खेती को बढावा देने हेतु स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा युक्त ''ऑर्गेनिक स्टोर'' खोले जाएंगे तथा जैविक (ऑर्गेनिक) खेती से संबंधित शंकाओं व समस्याओं को दूर करने के लिये विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। प्रदेश में संभाग मुख्यालय पर जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना की जायेगी।

- राज्य में फलों एवं सब्जियों के क्षेत्र को 2023 तक 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- रोजड़ों से फसलों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार कारगर योजना बनायेगी।

- ❖ प्रत्येक संभाग में एक जिले को सम्पूर्ण "जैविक खेती" युक्त जिला बनाया जायेगा।

- ❖ प्रदेश की नहर परियोजनाओं, लिफ्ट, सिंचाई परियोजनाओं व वितरिकाओं की शेष मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि आंवटित की जायेगी।

- ❖ गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जायेगी।

- ❖ आगामी 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत 1.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के उपकरणों जैसे ड्रिप, फव्वारा, सोलर कनेक्शन, जल हौज, डिग्गी पर किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान की योजना लाई जायेगी। इसके साथ ही ग्रीन हाउस व शेड नेट हाउस संरक्षित खेती क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा।

- ❖ डार्क जोन क्षेत्र में कृषि सिंचाई हेतु पूर्व में संचालित कुओं को पुनर्जीवित किये जाने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

- ❖ प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु फरवरी 2012 से लंबित 2 लाख 50 हजार कृषि कनेक्शन आवेदनों का निस्तारण करके सिंचाई सुविधा दी जायेगी।

- ❖ सिंचाई व पेयजल के लिए 13 जिलों को जोड़ने वाली 37 हजार करोड़ रूपये लागत की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना **(Eastern Rajasthan Canal Project)** से वंचित गावों को यमुना नदी से जोडने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत डीपीआर **(Detailed Project Report - DPR)** का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जायेगा। इससे राज्य के 26 बांधों में जल आपूर्ति की जावेगी जिससे इन बांधों के लगभग 80000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में सुधार किये जाने के साथ–साथ 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित होगी।

- ❖ ब्राह्मणी–बनास परियोजना के अन्तर्गत ब्राह्मणी नदी के अधिशेष पानी को बीसलपुर बांध में हस्तांतरित कर संबंधित क्षेत्रों को लाभान्वित किया जायेगा।

- ❖ 6060 करोड़ रूपये की लागत की परियोजना के द्वारा जंवाई बांध में पानी की कमी की पूर्ति हेतु साबरमती बेसिन की वाकल, साबरमती, सेई व पामेरी नदियों के अधिशेष पानी ***(181 MCM)*** को अपवर्तन कर जंवाई बांध में डाला जायेगा।

- ❖ माही बांध से हाई लेवल कैनाल निकाल कर इसको नागलिया पिक अप वियर तक लाया जायेगा।

- ❖ बूंदी जिले के गरडदा बांध के लम्बे समय से क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।
- ❖ हर खेत तक किसानों के लिये कटाणी रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ❖ प्रदेश के गांवों में पीढियों से जो लोग सरकार की भूमि पर कच्चे/पक्के मकान/छप्पर बनाकर जीवनयापन कर रहें है, उन्हें उक्त कब्जासुदा भूमि पर आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- ❖ राज्य द्वारा इस कार्यकाल में कृषि के लिए निर्धारित विद्युत दरों मे न केवल कोई वृद्धि नहीं की गई बल्कि सामान्य श्रेणी के कृषकों केा एक वर्ष में 10 हजार रूपये तक की मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में किसानों को ऊर्जा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन किया जायेगा।
- ❖ जन वितरण प्रणाली में क्षेत्र आधारित उत्पाद भी वितरित किये जायेंगे। जिन क्षेत्रों में बाजरे या मक्के का सेवन अधिक होता है उस क्षेत्र के उत्पादों को पीडीएस में शामिल किया जायेगा।
- ❖ औषधीय पौधों की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।

2. शिक्षा क्षेत्र

- सरकारी स्कूलों से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को लैपटॉप/स्मार्ट फोन दिया जायेगा। इस संबंध में एक योजना लाई जायेगी।
- हर विधानसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला जायेगा। सभी जिला मुख्यालय पर तीनों संकाय सहित कन्या महाविद्यालय खोले जायेगें।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्तियां सुनिश्चित की जायेगी।
- गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवीन योजना प्रारम्भ की जावेगी। इस योजना के अन्तर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं मेधावी छात्राओं को साईकिल वितरित की जावेगी।
- सरकार से कोई सहायता अथवा रियायत प्राप्त नही करने वाले प्राईवेट स्कूल के लिए एक ''प्राईवेट स्कूल बोर्ड/उच्चाधिकार प्राप्त समिति'' का गठन किया जाएगा जो प्राईवेट स्कूल से सम्बंधित नीति निर्धारण करने में सरकार का सहयोग करेगा।
- गैर सरकारी विद्यालयों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा/मान्यता प्रणाली एवं नियमों को पारदर्शी बनाया जावेगा।
- वर्तमान में सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत संचालित राजकीय इंजनियरिंग कॉलेजों को सरकार द्वारा संचालित किया जायेगा।
- उच्च एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी राजकीय महाविद्यालयों में यू.जी. एवं पी.जी. में विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा।
- प्रत्येक महाविद्यालय में e-Library की स्थापना की जायेगी।
- सभी विश्वविद्यालयों को दो या तीन विभाग चुनने के लिये प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विकसित करने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी।
- चुनिंदा कॉलेजों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ विकास–साझेदारी (Development Partnership) करने हेतु होल्डिंग/मेंटरिंग योजना का प्रारम्भ किया जायेगा।
- शोध नियामक आयोग का गठन किया जायेगा।
- भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा तथा संस्कार देने वाली शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इन्हें रियायती दर पर भूखण्ड आंवटित किए जायेगें।

- ❖ जनजाति, दुर्गम, उपेक्षित एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाभाव से कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं हर संभव सहयोग किया जायेगा।
- ❖ Digital Rajasthan के विकास हेतु चिन्हित विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक का प्रावधान किया जायेगा।
- ❖ राज्य में कार्यरत विधार्थी मित्र, संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, अंशकालीन शिक्षक की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति/प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
- ❖ निजी विद्यालयों की समस्या के समाधान हेतु स्थायी आयोग का गठन किया जायेगा।
- ❖ भारत–पाक सीमावर्ती क्षेत्रों के समस्त विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों को प्राथमिकता से भरा जायेगा।
- ❖ माध्यमिक शिक्षा में कुटुम्ब प्रबोधन पर एक अध्याय जोड़ा जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचे को विकसित करते हुए सम्पूर्ण विभागीय ढ़ांचे का पुर्नगठन किया जायेगा।
- ❖ पांच वर्ष के कालखण्ड में संस्कृत शिक्षण व्यवस्था को डेढ़ गुना कर दिया जायेगा।
- ❖ राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड (Vedic Studies Board) का गठन किया जायेगा तथा इसकी संस्थाओं एवं पदों के लिये सेवा नियम बनाए जायेंगे।
- ❖ सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन्स (Sanitary Napkins) का निशुल्क वितरण किया जायेगा।
- ❖ राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कार प्राप्ति के उपरान्त एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।
- ❖ सभी मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु औपचारिक व अनौपचारिक केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ प्रत्येक बसावट के पांच किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं के लिये सुविधा का विस्तार कर सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय एवं पेयजल सुविधा का विस्तार किया जायेगा।
- ❖ राजकीय विद्यालयों में खेल एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक सुविधायें विकसित की जायेगी।
- ❖ उत्कृष्ट शिक्षाविदों की विशेषज्ञता का लाभ, ब्लाक स्तर पर पहुँचाने हेतु स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं (Smart Classes) की स्थापना की जायेगी।
- ❖ प्रदेश में पुस्तकालयों के प्रभावी प्रबंधन हेतु पुस्तकालय अधिनियम लाया जायेगा।

3. सामाजिक न्याय

- छात्रवृति योजना में पूर्व में निर्धारित अभिभावक आय सीमा एवं छात्रवृत्ति राशि पर पुनर्विचार किया जायेगा।

- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग को निर्धारित समय में भरा जाएगा।

- एस.सी./एस.टी. वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति योजना की पात्रता, आवेदन पत्र भरने तथा स्वीकृति व भुगतान करने की प्रक्रिया को सरलतम बनाया जायेगा व अभिभावकों के वार्षिक आय सीमा के मानकों पर पुनर्विचार किया जायेगा।

- प्रदेश में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासीय छात्रों को दैनिक उपयोग में दी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता व अन्य सुविधाओं में सुधार किया जायेगा।

- एस.सी./एस.टी. वर्ग के उद्यमियों के स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उधोग स्थापित करने के लिये जमीन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी।

- बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर एंटरप्रेन्योरशिप योजना सृजित कर एस.सी./एस.टी./एस.बी.सी/ओबीसी/ईबीसी समाज के एंटरप्रेन्योरस के लिये विशेष कॉरपस फण्ड का प्रावधान किया जायेगा।

- सीवर लाईन/सेप्टिक टैंक में कार्य करते हुये सफाई कर्मियों की दुर्घटना एवं मृत्यु नहीं हो इस हेतु नई तकनीक से बने उपकरणों का उपयोग किया जायेगा।

- प्रदेश में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण जैसे प्रोटेक्टिव गियर, मास्क, इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ निःशुल्क चिकित्सा बीमा सुविधा प्रदान की जायेगी।

- बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी से जुड़े हुए तथा भाजपा द्वारा विकसित किए गए स्थानों पंचतीर्थों के भ्रमण के लिए विशेष रूप से "डॉ0 भीमराव अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा कोष' की स्थापना की जाएगी।

- ❖ राज्य के जयपुर जिले में स्थित अम्बेडकर पीठ को राष्ट्र स्तरीय भव्य पर्यटन स्थल घोषित किया जायेगा।
- ❖ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामुदायिक भवनों में ई–लाईब्रेरी (e-Library) स्थापित की जायेगी।
- ❖ भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय विश्वविद्यालय में डॉ अम्बेकर चेयर की स्थापना की जायेगी।
- ❖ आदिवासी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए शोध केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- ❖ टीएसपी एरिया के विकास के लिए आगामी 5 वर्ष में लगभग 5000 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे।
- ❖ विभिन्न विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुये आदिवासियों के पुर्नवास हेतु नीति बनाई जाकर क्रियान्वित किया जायेगा।
- ❖ वन क्षेत्र में बसे आदिवासियों को "वन्य ग्राम" बनाकर सभी सुविधाये उपलब्ध करायी जायेंगी तथा Forest right Act के तहत आदिवासी अंचल के लोगों के Pending पट्टे को विशेष कैम्प लगाकर संविधान की मूल भावना के अनुसार स्वीकार किया जायेगा।
- ❖ टीएसपी क्षेत्र में प्रत्येक एस.डी.एम. कार्यालय में वन अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिसके माध्यम से पट्टे देने की प्रक्रिया संबंधी कानूनी सलाह, मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत स्थानीय निवासियों को 'सामुदायिक अधिकार पत्र एवं पट्टों' के निष्पादन कार्य हेतु अभियान चलाया जायेगा।
- ❖ आदिवासियों की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरुस्त किया जाएगा।
- ❖ मेवाड़ भीलकोर को रेजीमेन्ट का दर्जा दिया जायेगा।
- ❖ टी.एस.पी. एरिये में सेनाओं के भर्ती कार्यालय खोले जाने की राज्य सरकार अनुशंषा करेगी।
- ❖ जनजाति छात्रावासों में छात्र संख्या 50 से वृद्धि कर 100 की जायेगी।
- ❖ दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को क्रीड़ा में सशक्त करने हेतु उदयपुर संभाग मुख्यालय पर खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी।
- ❖ प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समिति हेतु राजकीय संस्थागत व्यवस्था तंत्र का गठन किया जायेगा।

- ❖ प्रत्येक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चाईल्ड हैल्पलाईन (Child Helpline) तथा शिशु/ बाल/ आश्रय/ बालिका आदि गृह खोले जायेंगे।

- ❖ आदर्श ग्राम पंचायत की तर्ज पर "बाल मित्र ग्राम पंचायत'' की स्थापना की जायेगी।

- ❖ जनजाति क्षेत्र के परीक्षार्थियों के लिय भारतीय/राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़ व जनजाति क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोचिंग केन्द्र के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

- ❖ मीना (Mina) के साथ मीणा (Meena) राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 9 पर जोडने हेतु राज्य सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को अपनी अनुशंषा भेजी जायेगी।

- ❖ पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गुरूकुल योजना अन्तर्गत राज्य सरकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 2000 प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अधिसूचित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 50 हजार रूपये दिये जाएंगे।

- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु समुद्रपारीय छात्रवृति योजना अन्तर्गत 100 छात्र एवं छात्राओं के विदेशों में शोध करने वाले 50 विद्यार्थियों को 10 लाख रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तर करने वाले 5 विद्यार्थियों को 8 लाख रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी।

- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास योजना अन्तर्गत प्रत्येक जिले में स्कूल स्तरीय व कॉलेज स्तरीय छात्रावासों का निर्माण करवाया जाकर संचालन किया जायेगा।

- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग के दसवी, बारहवी एवं स्नातक में प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु तथा आर.ए.एस. एवं आई.ए.एस. परीक्षा हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु शिक्षा ऋण योजना में मेधावी विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की योजना लाई जाएगी।

- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग हेतु स्वरोजगार ऋण योजना में व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 लाख रू. तक का आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजना लाई जाएगी।

- ❖ आर्थिक पिछडा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भारतीय सैन्य सेवा हेतु प्रोत्साहन सहायता योजना अन्तर्गत कमीशण्ड ऑफिसर के रूप में चयन होने पर एकमुश्त 1 लाख रू. की प्रोत्साहन सहायता राशि दी जायेगी।

- ❖ ग्राम पंचायतों में रोडवेज परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर निजी बस ऑपरेटर्स को दिए जाने वाले परमिट में 10 प्रतिशत परमिट आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को दिए जायेंगे।

- ❖ अन्नपूर्णा भण्डारों का 10 प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को आवंटन किया जायेंगा।

- ❖ राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न भर्तियों में आयु, परीक्षा में बैठने के अवसर तथा अनुसूचित जाति को प्रदत सुविधाओं– व्यवस्था के समान ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को भी लाभ दिया जायेगा।

- ❖ पृथक से आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग की स्थापना की जायेगी।

- ❖ डूंगरपुर में डूंगर बरंडा, कोटा में कोटिया भील, बून्दी में बूंदा मीणा, बांसवाडा में बांसिया चरपोटा, जयपुर में चांदा मीणा आदि आदिवासी महापुरूषों के स्मारकों का निर्माण किया जायेगा।

- ❖ जनजाति क्षेत्र वाले जिलों में जनजाति आस्था केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में 'कृषि, विज्ञान तथा वाणिज्य विद्यालयों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी एवं लघुवन उपज मण्डियों की स्थापना की जायेगी।

- ❖ वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की समीक्षा कर सुदृढ़ किया जाएगा।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में उपखण्ड स्तर पर मोबाईल मेडिकल टीम का गठन आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विशेष नीति बनाई जायेगी।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में महुआ के फल, फूल एवं पत्तों में औषधि गुणों के अनुसंधान के लिए कृषि विश्वविद्यालय के अधीन परियोजना बनाई जायेगी।

- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति युवाओं के लिए प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को शोध एवं अनुसंधान के लिए शोध छात्रवृति प्रदान की जायेगी।
- ❖ जनजातियों के कृषि भूमि सम्बंधी राजकीय रिकॉर्ड को एक पोर्टल से जोड़ा जायेगा।
- ❖ आदिवासी तीर्थ बैणेश्वर धाम को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलों में वन क्षेत्र को 'गवरी वन' के रूप में विकसित किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्र की सभी महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना लागू की जायेगी।
- ❖ गोगुन्दा से झाड़ोल होते हुए ऋषभदेव–टोकर–देव सोमनाथ से सागवाडा–गलियाकोट मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जायेगा।
- ❖ जाखम बांध क्षेत्र में विशेष ईको ट्यूरिज्म (Eco-Tourism) तथा औषधीय पार्क के रूप में स्थापित किया जायेगा।
- ❖ अनुसूचित क्षेत्र में स्थित गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाडा को 'आवासीय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के तर्ज पर विकसित किया जायेगा।
- ❖ दक्षिण राजस्थान के उदयपुर में Tribal University है उसी तर्ज पर Eastern राजस्थान में Tribal University खोली जायेगी।
- ❖ राज्य के बांसवाडा एवं प्रतापगढ़ जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
- ❖ राजस्थान जनजातीय क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना के द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जैविक खाद्य और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराया जायेगा।
- ❖ जनजातीय खेल के मैदान और प्रतिभा अनुसंधान योजना को पुनर्जीवित किया जायेगा।

4. युवाओं के लिये

- युवाओं के लिए एक व्यापक युवा डिस्काउन्ट वाउचर युवाओं को जारी किया जायेगा जिसके माध्यम से निजी सेवा प्रदाता/रोड़वेज की परिवहन, आवास, कला प्रदर्शन जैसी सेवाओं में युवा छूट प्राप्त कर सकेंगे।

- उच्चतर शिक्षा के लिये बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की योजना लाई जाएगी।

- युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के 8 सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों से संबंधित ***Centre of Exellence*** स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यहां के बच्चों को विश्वस्तरीय ज्ञान मिल सके और वो बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके।

- इसके साथ ही इन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में भामाशाह ***Techno-Hub*** की तर्ज पर ही ***Start-ups*** के लिए आधुनिक सुविधा युक्त केन्द्र स्थापित किये जाएंगे जिनमें ***Tinkering Lab, Fab Lab*** जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।

- विभिन्न औद्योगिक व तकनीकी इकाईयों की तकनीकी आवश्यकता के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु आई.टी.आई. को सुदृढ़ किया जायेगा।

- प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर यूथ हॉस्टल की स्थापना की जायेगी।

- राज्य के युवा वर्ग को सशक्त एवं सक्षम कर उनका सर्वांगीण विकास करने हेतु स्वामी विवेकानन्द बहुउदेशीय युवा भवन के निर्माण की योजना लाई जाएगी।

- छात्र संघ चुनावों में स्थानीय निकायों की तर्ज पर छात्राओं के लिये स्थानों का आरक्षण दिया जायेगा।

- राज्य के अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के युवा आवासो में "युवा सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्र' खोलकर राज्य स्तर पर चयनित 60 युवा कलाकारों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- नशे से ग्रसित युवा व उनके परिजनों को टोल फ्री (Toll Free) नम्बरो से निःशुल्क नशामुक्ति केन्द्रों की जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

- ❖ जनजातीय क्षेत्र के 6 जिलों में उत्कृष्ट युवाओं को कौशल विकास रोजगार प्रशिक्षण की तर्ज पर "ट्राईबल यूथ एक्सीलेंस सेन्टर' (Tribal Youth Excellence Centre) खोला जायेगा।

- ❖ प्रत्येक जिले में योग भवन का निर्माण किया जायेगा।

- ❖ सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि से 3 माह पूर्व युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक उप–खण्ड पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

- ❖ राजस्थान के उभरते हुए खिलाड़ियो के लिए उचित बजट का प्रावधान कर "मिशन गोल्ड हंट' (Mission Gold Hunt) शुरू किया जाएगा।

- ❖ प्रदेश में 7 संभागों में विश्व स्तरीय मानकों व गुणवत्ता को ध्यान में रखकर हॉस्टल में सुविधायुक्त स्पोर्टस सेंटर विकसित किए जाएंगे।

- ❖ खेल बजट के निर्माण में खिलाड़ियों को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाडियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्वि की जायेगी।

- ❖ जिला मुख्यालयों पर स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स की स्थापना और दक्ष खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

- ❖ "खेलो भारत' की तर्ज पर ''खेलो राजस्थान' का आयोजन किया जायेगा।

5. रोजगार हेतु

- शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने व रोजगार मिलने तक संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुऐ 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत अधिकतम 5 हजार रूपये प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

- अनारक्षित वर्ग के युवाओं एवं लघु उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि एवं ऋण की व्यवस्था करवायी जायेगी।

- प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर नियमित अवधि पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा।

- सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ–साथ आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे।

- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार हेतु मरू साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र जैसलमेर में खोला जायेगा।

- रोजगार/पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आदिवासी उत्पाद बाजार एवं सांस्कृतिक केन्द्र खोले जायेगे।

- राजस्थान परिधानों को विकसित करने के लिये ''सिलाई कला बोर्ड" का गठन किया जायेगा। सिलाई कामगारों का भी श्रमिक कार्ड हेतु पंजीयन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

- प्रमुख व्यापार अनुमोदन प्रक्रियाओं – भूमि आवंटन, जल आवंटन, विद्युत कनेक्शन, पर्यावरण अनुमति, जोनिंग नियम, प्रदूषण नियंत्रण, भवन अनुमति आदि का ***(Ease of Doing Business)*** के तहत किए गए सरलीकरण को आवश्यकतानुसार और अधिक सरलीकृत एवं पारदर्शी किया जायेगा।

- व्यापार अनुमोदनों के त्वरित निराकरण के जरिये निवेश प्रोत्साहन के लिये संबंधित विभागों में ''निवेशक सुविधा सेल" की स्थापना की जायेगी।

- खनिज नियमों एवं अधिनियमों के तहत निवेश प्रस्तावों का कम समय में आसान अनुमोदन किया जायेगा।

- खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाईल अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं हार्डवेयर निर्माण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में निवेश के लिये विशेष हेतु औद्योगिक संकुलों की स्थापना की जायेगी।

- ❖ श्रम नियम / प्रक्रिया एवं कारखाना नियम / प्रक्रिया के सरलीकरण को गति देने की कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ सेवा क्षेत्रों में निवेश के प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जायेगा।
- ❖ पर्यटन, नवकरणीय उर्जा, स्वास्थ्य, तकनीकी एवं ज्ञान क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों का चयन व विकास किया जायेगा।
- ❖ घरेलू बी.पी.ओ. के लिये त्रिस्तरीय शहरों को हब (Hub) के रूप में विकसित कर मोबाईल एप्लीकेशन (Mobile Application), गेमिंग (Gaming), एनीमेशन (Animation) एवं एनालिटिक्स (Analytics) जैसे उभरते कार्य क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- ❖ समग्र विकास सुनिश्चित करने एवं क्षेत्र विशेष अनुकूल व्यापार का वातावरण बनाने हेतु निवेश गलियारों में बहु उत्पाद आधारित औद्योगिक पार्क एवं टाउनशिप का विकास किया जायेगा।
- ❖ औद्योगिक विकास केन्द्रों में अधोसरंचनाओं का विश्वस्तरीय उन्नयन किया जायेगा।
- ❖ आवश्यक सुविधाओं के साथ 20 समग्र एमएसएमई (MSMEs) समूहों को विकास किया जायेगा।
- ❖ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ समन्वय से एमएसएमई (MSME) के लिये तकनीकी उन्नयन किया जायेगा।
- ❖ ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं उद्योग विभाग के लिये प्रयासों का एकीकरण कर डिजाइन, कच्चे माल, बाजार एवं वित्त के लिये समान मंच निर्मित कर व्यक्तिगत उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों के लाभ को उच्चतम स्तर तक ले जाया जायेगा।
- ❖ रोजगार श्रेणी की दृष्टि से विशेषीकृत प्लेसमेंट प्रकोष्ठ (Placement Cell) की स्थापना की जायेगी।
- ❖ रोजगार कार्यालय को श्रेणियों के हिसाब से विभाजित कर राजस्थान के मूल निवासियों के हितों की रक्षा की जायेगी।

6. महिला सशक्तिकरण

- ❖ महिला कृषक को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष योजना बनायी जायेगी।
- ❖ महिलाओं की सेना में भर्ती के लिये जिला स्तर पर सेल का गठन किया जायेगा तथा सेना/अर्द्ध सैनिक बल में भर्ती की तैयारी के लिये जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर एवं राज्य स्तर पर महाराव शेखा प्रशिक्षण केन्द्र, रलावता में पृथक से इकाई स्थापित की जायेगी।
- ❖ पीडीएस (Public Distribution System - PDS) दुकानों में महिलाओं हेतु रिजर्व डेयरी तथा ग्रामसेवा सहकारी समिति में आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा।
- ❖ 6 लाख से कम वार्षिक आय के एस.सी./एस.टी./आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रूपये तक की विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना लाई जाएगी।
- ❖ राज्य में असंगठित क्षेत्र में भवन निर्माण, बीडी. बनाना, खान मजदूर, ईट भट्टे फैक्टरियों में काम करने वाले एस.सी./एस.टी. एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को एक विशेष फोकस ग्रुप घोषित करके उनके उत्थान की। योजनाओं को समयबद्व रूप से लागू किया जायेगा।
- ❖ महिलाओं की खेलकूद में भागीदारी बढाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं संस्थागत प्रयास किये जाएंगे।
- ❖ महिला, बालिका मूक–बधिर सुधार गृह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे व शिकायत पेटियां अनिवार्य की जायेगी।
- ❖ कच्ची बस्तियों के नजदीक महिला बैंक एवं मोबाईल बैंक खोले जायेंगे।'
- ❖ प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महिला सदन की स्थापना संबंधी योजना लाई जाएगी।
- ❖ राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 को और अधिक सशक्त किया जायेगा।
- ❖ भारत–पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा बच्चों को आवश्यक पोषाहार उपलब्ध कराये जायेगे।
- ❖ राज्य के सभी पुलिस थानों में बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी के पद पर महिला पुलिस की नियुक्ति की जायेगी।

- ❖ महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों और योजनाओं, कानूनों, नियमों, विनियमनों और प्रावधानों पर जानकारी प्रदान करने हेतु एक महिला पोर्टल की स्थापना की जायेगी।

- ❖ आजीविका और स्व–रोजगार को बढावा देने हेतु महिलाओं के स्व–सहायता समूह तंत्र का विस्तार कर समन्वय स्थापित किया जायेगा।

- ❖ क्षमता निर्माण, शोध एवं मुल्यांकन हेतु महिलाओं के लिये डिविजनल रिसोर्स सेंटर्स (Divisional Resource Centres) की स्थापना की जायेगी।

- ❖ बड़े शहरों और बस्तियों में वर्किंग विमेंस होस्टल (Working Women Hostel) श्रृंखला स्थापित कर गैर–सरकारी विख्यात संस्थानों का प्रबंधन में सहयोग लिया जायेगा।

- ❖ गृह लक्ष्मी सम्मान योजना प्रारम्भ कर सभी पात्र आयु 28 से 59 वर्ष (पारिवारिक आय 6 लाख से कम) की 'होम मेकर्स' को आर्थिक रूप से सशक्त करने की योजना लाई जाएगी।

- ❖ कामकाजी महिला छात्रावासों में डे–केयर सेन्टर प्रारम्भ किये जाएंगे।

7. कर्मचारियों के लिये

- ❖ राज्य कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17700/– के स्थान पर 18000/– निर्धारित किया जायेगा।
- ❖ ऐसी सेवा संवर्ग जिनमें प्रथम पदोन्नति 15–20 वर्षों की सेवा पर होती है, ऐसी सेवा संवर्ग के पदोन्नति के अवसरों की समीक्षा की जाएगी।
- ❖ सभी सेवा संवर्गों में टाइम स्केल के आधार पर पदोन्नति हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
- ❖ वर्तमान में कर्मचारियों को देय विभिन्न भत्ते सातवें वेतन आयोग के अनुसार सामंत समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किये जायेगे।
- ❖ विभिन्न कर्मचारी संवर्ग यथा पटवारी, ग्राम सेवक, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी संगठनों ने अपना ज्ञापन सामंत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगति, भत्तों का निर्धारण एवं अन्य मांगें उठाई गई हैं। इस सम्बन्ध में सामंत समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर समयबद्ध रूप से वेतन विसंगतियों का निवारण व रिपोर्ट को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- ❖ अनुसूची 5 में संशोधन के क्रम में 2400 से 2800 ग्रेड पे के भिन्न लेवल समाप्त किये जायेंगे।
- ❖ राज्य कर्मचारियों की राजकार्य निष्पादन के दौरान मृत्यु होने पर मृत्यु तिथि से 10 वर्षों तक पूर्ण पेंशन देने के संबंध में योजना लाई जायेगी।
- ❖ सहायक कर्मचारियों को एवं समकक्ष पदों को एम.टी.एस. घोषित किया जायेगा।
- ❖ राज्य सरकार के अधीन अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के न्यूनतम वेतन, पारिश्रमिक एवं मानदेय बढाने के मापदण्ड तय किये जायेंगे।
- ❖ कर्मचारी संघों से संबंधित मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा।
- ❖ कर्मचारी संघों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए विभागीय एवं राज्य सरकार के मंत्री स्तर पर एक वर्ष में कम से कम दो बार वार्ताऐं की जाकर समाधान हेतु समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

- ❖ वर्ष 2004 व उससे पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बेहतर Medi-claim policy से लाभान्वित किया जाएगा।

- ❖ राज्य कर्मचारियों को 9 वर्ष के अंतराल के स्थान पर 8 वर्ष के अंतराल पर चार **ACP** स्वीकृत किए जाएंगे।

- ❖ 1 जून, 2002 के पश्चात् कर्मचारियों के 2 से अधिक संतान होने पर ए.सी.पी. की विसंगतियों को दूर किया जायेगा।

- ❖ पेंशनर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति **CGHS** की तर्ज पर **Cashless** चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

- ❖ राज्य कार्मिकों के स्थानान्तरण की पारदर्शी नीति बनाई जायेगी।

- ❖ वर्तमान सरकार में गठित मंत्रीमंडल उपसमिति द्वारा लिये गये कर्मचारी हित के सभी निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

- ❖ संविदा कार्मिकों को अनुभव के आधार पर भर्ती में बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा।

- ❖ सभी संविदा कार्मिकों को मेडिक्लेम/ईएसआई का लाभ दिया जायेगा।

- ❖ सभी विभागों में नई भर्ती के लिये प्रतिवर्ष केलेण्डर जारी किया जायेगा।

8. श्रम कल्याण क्षेत्र

- ❖ असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मियों को आधार/भामाशाह से जोड़कर स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे।
- ❖ जहां भी सरकार निजीकरण की नीति लागू करती है वहां पर कार्यरत श्रमिकों के पुनर्वास की योजना पहले बनाई जायेगी।
- ❖ असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए भी पृथक श्रम कल्याण बोर्ड बनाया जायेगा।
- ❖ मनरेगा श्रमिकों को वर्तमान में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 100 दिन पूर्ण करने वाले मनरेगा श्रमिकों को राज्य मद से अतिरिक्त रोजगार प्रदान किये जाने की योजना लाई जायेगी।
- ❖ सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रिक्त पदों पर समय पर भर्ती करने की प्रक्रिया चरण बद्व रूप से पूरी की जायेगी।
- ❖ सभी जिला मुख्यालयों पर श्रमिक कल्याण भवन की स्थापना की जायेगी।
- ❖ महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए पालना गृह एवं प्रसाधन गृह एवं हॉस्टल सभी जिला केन्द्रों पर बनाए जायेंगे।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारण्टी की तर्ज पर शहरी रोजगार गारण्टी कानून बनाया जाएगा।
- ❖ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानुसार केन्द्र सरकार के समान उचित मजदूरी सभी ग्रामीण एवं शहरी मजदूरों को दी जायेगी।
- ❖ घरेलू कामगारों हेतु समग्र कानून बनाकर श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कर श्रमिक के रूप में मान्यता, रोजगार नियमन, काम का नियमन, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा व मुआवजा, आवास आदि का प्रावधान किया जायेगा।
- ❖ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत घरेलू कामगार महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु योजना बनाई जाएगी।
- ❖ वृद्धावस्था पेंशन की प्रतिमाह देय राशि बढ़ाई जायेगी।

9. आर्थिक एवं संरचनात्मक विकास क्षेत्र

- अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचौर व जालौर तक लाकर कृत्रिम इनलैण्ड पोर्ट बनाए जाने की योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा।
- पेयजल ग्रिड परियोजना को मूर्त रूप देने की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
- कचरे के प्रबन्धन, पुर्नचक्रण व उससे ऊर्जा बनाने से संबंधित प्लांट बनाये जायेगे तथा विश्वस्तरीय तकनीक का उपयोग किया जायेगा।
- बड़े शहरों को सोलर सिटी के मॉडल के रूप में विकसित किया जायेगा।
- सभी जिलों का आपस में जोड़ने के लिये 4 लेन का ''राजस्थान माला" हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा।
- 250 से अधिक आबादी के 100 प्रतिशत गांवों/बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ा जायेगा।
- कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मिसिंग लिंक को पूरा किया जायेगा।
- सीमावर्ती जिलों के सम्बन्ध में मुद्दे तय कर इनके विकास समग्र पर्यटन क्षेत्र सहित का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।
- बढ़ते हुये ट्रेफिक दबाव को देखते हुये तथा समय एवं ईधन की बचत हेतु सबवे एवं डबलडेकर रोड़स बनाये जायेगा।
- राजस्थान सरकार के समस्त विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में ऑनलाईन सुझाव आमंत्रित कर विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जायेगा।
- ***DMIC***/फ्रेट कोरिडोर (Freight Corridor) से लगे क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिये निर्यात करने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा।
- आर्थिक विकास की दृष्टि से यमुना नदी द्वारा सीकरी, भरतपुर सिचांई सिस्टम को पुनर्जीवित कर पानी लाने की योजना बनाई जायेगी।

- ❖ बीसलपुर जयपुर पेयजल योजना के तहत अतिरिक्त जल शोधन क्षमता विकसित कर बालांवाला तक 1000 करोड़ रूपये की लागत से 97 किमी लम्बी दूसरी मुख्य पाईपालाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा।

- ❖ जयपुर शहर के विस्तारीकरण से पेयजल की बढ़ी मांग को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य 1104 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण करवाकर आमजन को शुद्ध पेयजल की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

- ❖ फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि की समस्या से प्रभावित 5500 बस्तियों में आर.ओ. प्लान्ट लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

- ❖ जयपुर मैट्रो फेज–2 का निर्माण कार्य 2021 तक पूर्ण किया जायेगा।

10. ग्रामीण क्षेत्र

- मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के अन्तर्गत राज्य के समस्त गांवों को चरणबद्ध रूप से जल आत्मनिर्भर बनाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जावेगा।

- क्षेत्रीय विकास योजनाओं यथा मगरा, मेवात, डांग एवं देवनारायण योजनाओं के बजट को पांच वर्षों में डेढ़ से दो गुना किया जाएगा।

- 5000 से अधिक आबादी के समस्त गांवों/ग्राम पंचायतों को वर्ष 2023 तक समस्त आधारभूत सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि भण्डारण, पेयजल, सड़क, यातायात साधन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाना लक्षित है, जिससे स्मार्ट विलेज (Smart Village) की अवधारणा को साकार किया जा सके।

- 3 हजार की जनसंख्या वाले गांव में 1 किलोवाट के कनेक्शन तक मुफ्त घरेलू बिजली दी जायेगी।

- एसएचजी (Self Help Groups – SHGs) को 2 लाख तक लोन राजीविका के माध्यम से दिया जायेगा। डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, सुअर पालन एवं मत्स्य पालने आदि हेतु विशेष सहायता की योजना बनाई जायेगी।

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास शोध संस्थान की स्थापना कर अन्त्योदय व एकात्मक मानववाद की भावना पर आधारित ग्रामीण विकास व रोजगार को बढावा दिया जायेगा।

- प्रत्येक गांव में ग्रामसभा द्वारा समस्या समाधान अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

- पंचायती राज संस्थाओं को पेपरलैस (Paperless) करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को पंचायतीराज वेबसाईट (e-Panchayat) के साथ जोड़कर डिजिटाइजेशन (Digitisation) किया जायेगा।

- प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित किये जायेंगे।

- ''न्याय आपके द्वार'' अभियान का आयोजन हर वर्ष किया जायेगा।'

- सरपंचों के साथ वार्डपंचो को भी सम्मानजनक मानदेय दिया जायेगा।

11. सूचना व तकनीकी

- ❖ सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई फाई (Wi-Fi) जोन की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- ❖ प्रदेशवासियों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे विवाह प्रमाण पत्र, मोटर चालक लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि घर बैठे ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी।
- ❖ समस्त नगरीय क्षेत्रों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने हेतु योजना बानाई जायेगी।

12. वरिष्ठ नागरिकों हेतु

- ❖ सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना कर उनमें असिस्टेंटलिविंग, कुशल नर्सिग देखभाल और आयुर्वेदिक एवं मनोरंजन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- ❖ दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में तीर्थयात्रियों की संख्या को दोगुना करते हुए 1 लाख व्यक्तियों को यात्रा करवायी जायेगी।
- ❖ वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन की राशि में वृद्धि की जायेगी।

13. पर्यटन, संस्कृति व कला

- ❖ राजस्थानी साहित्य से संबंधित लेखकों, कवियों व अन्य प्रोफेशनलस (professionals) को फैलोशिप (Fellowship) के माध्यम से विशेष सहायता की जाएगी।
- ❖ राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाई जाने के समयबद्व प्रयास किये जायेगे।
- ❖ राज्य के प्रत्येक जिले में प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रतिवर्ष चयन कर वर्ल्ड क्लास फेसलिटी (World Class Facility) उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ❖ राजस्थान पर्यटन का एकीकृत वेव पोर्टल उपलब्ध करवाकर इसमें होटल, ट्यूर आपरेटर, ट्रेवल गाईड आदि जानकारी सहित ऑन लाईन बुकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ❖ वन विभाग, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि का 5 प्रतिशत बजट पर्यटन विकास कार्यो के लिये आरक्षित किया जायेगा।
- ❖ देशभर में उपलब्ध डोमेस्टीक ट्यूर आपरेटर्स (Domestic Tour Operators) को राजस्थान में अधिकाधिक देशी–विदेशी पर्यटकों को भेजने के लिये विशेष इन्सेन्टिव योजना प्रारम्भ की जायेगी।

- ❖ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शहरों में विदेशी पर्यटकों को राजस्थान भ्रमण के लिये प्रेरित करने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- ❖ धार्मिक पर्यटन की प्रभावी नीति बनाई जायेगी। परम्परागत मेलों को विकसित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- ❖ पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों/देवालयों के जीर्णोद्धार एवं नागरिक सुविधाएं विकसित करने हेतु अलग से कार्य किया जाएगा।
- ❖ 2022 तक टूरिस्ट की संख्या 1 करोड़ करने के प्रयास किये जायेंगे ताकि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार को बढ़ावा मिले।
- ❖ ट्यूरिस्टों के आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था से स्थानीय नागरिकों को जोड़ने की योजना लाई जाएगी – जिससे स्थानीय निवासी अपने आवास को पेइंग गेस्ट होम के रूप में उपयोग कर लाभ ले सकेंगे।
- ❖ राज्य के संरक्षित स्मारकों का उचित संरक्षण करते हुये एक भाषा संस्कृति कोष बनाया जायेगा।
- ❖ राज्य की विभिन्न अकादमियों को अधिक सुदृढ़ करते हुए राजस्थान साहित्य को आमजन तक पहुंचाने के लिये बजटीय प्रावधान बढाये जायेगे।
- ❖ प्रदेश की लुप्त होती हुई विभिन्न विद्याओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जायेगा।
- ❖ राजस्थान प्राच्यविद्या संस्थान का पूर्णतया डिजीटाईजेशन **(Digitisation)** किया जायेगा।
- ❖ स्थानीय बोलियों/भाषाओं के साहित्य उत्सव आयेजित किये जायेंगे।
- ❖ ईको एवं एडवेंचर टूरिज्म (Eco and Adventure Tourism) को बढावा दिया जायेगा। एडवेंचर टूरिज्म (Adventure Tourism) के लिये स्थानों का चयन कर एक प्रोत्साहन कार्यनीती बनायी जायेगी।
- ❖ हरित पर्यटन स्थलों में ठोस अपशिष्ट और मलजल निपटान सुविधाओं के साथ पॉलिथीन के प्रयोग का नियंत्रण किया जायेगा।
- ❖ सभी पर्यटक गंतव्यों पर नवकरणीय उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- ❖ बड़ी संख्या में उपलब्ध बांध एवं जलाशयों के आसपास पर्यटन अधोसरंचना विकसित की जायेगी ताकि जल पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके।

14. शहीदों एवं पूर्व सैनिकों हेतु

- शहीद स्मारक की जन्म स्थल पर भूमि निर्माण व रख रखाव की व्यवस्था राजकीय निधि से की जायेगी।
- शहीद ने जिस विद्यालय में अध्ययन किया है, उन प्रत्येक विद्यालय में उनका चित्र व साईटेशन लगाया जाएगा।
- शहीद सैनिकों के रक्त संबधियों को 1947 से 31.12.1970 तक नियोजन का प्रावधान की तर्ज पर द्वितीय विश्व युद्व के शहीदों के रक्त संबंधी को नियोजन देने का भी प्रावधान किया जाएगा।
- एक्स सर्विसमैन (Ex-Servicemen) के पुनर्नियोजन में शारीरिक दक्षता को पुर्ननिर्धारित किया जायेगा तथा उन्हें राजकीय सेवा के मापदण्डों से शिथिलता प्रदान की जायेगा।
- सैनिक शौर्य पुरस्कार लाने वाले सैनिक को मिलने वाली 25 बीघा जमीन न लेना चाहने पर उसकी एवज में प्रभावी डीएलसी रेट से मौद्रिक भुगतान किया जायेगा।
- सेना के शौर्य पुरस्कार विजेताओं तथा सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नियों को राज्य में मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- सेना एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत, राज्य के सभी सैनिकों के बच्चों की राजकीय संस्थानों में स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क होगी। इसका समस्त भार राज्य सरकार वहन करेगी।

15. उद्योगों हेतु

- उद्यमियों को ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया जायेगा, जिससे उनको समय पर पानी उपलब्ध हो सके।
- औद्योगिक समस्याओं के निवारण हेतु Grevience ***Redressal*** Cell का गठन कर तत्काल समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
- प्रत्येक तहसील स्तर पर नये औधोगिक क्षेत्रों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कर उनमें कुटीर व लघु उधोगों को व महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- गुजरात की तर्ज पर सेरेमिक (Ceramic) व अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये गैस की सप्लाई पाइपलाइन देने का प्रयास किया जायेगा।
- खनन उद्योग हेतु नियमों में सरलीकरण कर उद्यमियों को राहत दी जायेगी।
- जिस इण्डस्ट्री (Industry) का कच्चा माल जिस क्षेत्र में बहुतायत में मिलता है उसी क्षेत्र में उस उधोग का क्लस्टर (Cluster) बनाया जायेगा।
- क्षेत्र विशेष के कृषि उत्पादों के औद्योगिक क्लस्टर विकास हेतु भूमि उपलब्ध करवाकर प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी।
- चीनी एवं सरसों पर लगने वाले मण्डी शुल्क की पड़ोसी राज्यों में लगने वाले शुल्क/टैक्स के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जायेगी।
- मेक इन राजस्थान (Make in Rajasthan) को बढ़ावा देने तथा राजस्थान के मूल निवासियों को स्थानीय उद्योगों में और अधिक बढ़ावा देने हेतु राजस्थान औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।
- भवन निर्माण इकाइयों के समयबद्व अनुमोदन का प्रावधान किया जायेगा।
- वर्तमान में जमीन खरीदने पर एवं परियोजना पूर्ण होने पर जमीन एवं निर्माण पर किये गये पूंजी निवेश पर पुनः पंजीयन शुल्क देय होता है। दोहरे पंजीयन शुल्क से मुक्ति हेतु नियमों में संशोधन किये जायेंगे।
- आई.टी. सेन्टर विकासकर्ता को विशेष सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन देकर राजस्थान को आई. टी. हब बनाने का प्रयास किया जायेगा।

- ❖ बेटरमेंट लेवी का उपयोग उसी स्थान विशेष के विकास में करने हेतु नियमों को संशोधित किया जायेगा।
- ❖ औद्योगिक भूमि रूपान्तरण को सुगम करते हुये 5 हैक्टर बारानी व 2.50 हैक्टर सिंचित भूमि को औद्योगिक उपयोग में लाने के लिये की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।
- ❖ पर्यावरण सरलीकरण करने के लिये पर्यावरण प्रदूषण प्रकोष्ठ ***(Environment Compliance Assistance Centre)*** गठन किया जायेगा जिसमें उधोग के प्रतिनिधि भी मनोनीत होगें।
- ❖ राजस्थान में खनिज एवं कच्चे माल की मण्डी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन नीति लायी जाएगी।
- ❖ घनी आबादी क्षेत्र में आ गये औद्योगिक क्षेत्रों को आबादी क्षेत्र से दूर ले जाने हेतु नीति बनाई जायेगी तथा यथा सम्भव औद्योगिक क्षेत्रों को आबादी क्षेत्र में बदला जायेगा।
- ❖ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर योजना बनायी जायेगी एवं राजस्थान रोडवेज को घाटे में होने के कारणों की समीक्षा कर घाटे के कारणों को दूर किया जायेगा।
- ❖ राजस्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण, संपोषण, संवर्द्धन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें प्रदेश के सम्मानित संतो का पर्याप्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके।
- ❖ राज्य के टेक्सटाइल उद्योगों के लिये मारवाड क्षेत्र में पूर्ण विकसित सभी सुविधा युक्त पर्यावरण नियमों के अनुसार विशिष्ट टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क स्थापित किया जायेगा।
- ❖ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये रीको क्षेत्र में भू–खण्ड आवंटन हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सोलर उद्योग नीति बनाई जायेगी।
- ❖ उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये अलग से आवास नीति बनाई जायेगी।
- ❖ राज्य में डिफेंस क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण, हथियार, वाहन रेल्वे के कोच आदि के उत्पादन हेतु राज्य में विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जायेगा।
- ❖ केन्द्रीय कारागार जोधपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित कर इस जगह पर जोधपुर में आधुनिक बहुउद्देशीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना की जायेंगी।

16. पशुपालन

- ऊंटनी के बच्चों हेतु देय पशुपालकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता सतत रूप से प्रभावी रखी जायेगी।
- ऊंटो के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नर ऊंट की राज्य से बाहर आवश्यकतानुसार बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- केन्द्र सरकार की पशु क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया जायेगा।
- पशुपालकों यथा ऊंटपालक व गौपालक के ऊंट व बैलों की बिक्री हेतु नीति बनाई जायेगी।
- सीमन बैंक बस्सी (जयपुर) तथा सीमन बैंक नारवा खीचियान (जोधपुर) में सीमन गुणवत्ता, ***Sex Semen*** की सुविधा एवं उत्पादन का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- राज्य में दूध उत्पादन को दोगुना किया जायेगा। इस हेतु प्रदेश के पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित हिंगोनिया गोशाला को अक्षय पात्र फाउण्डेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसके उत्साह जनक परिणाम सामने आये हैं तथा ये गौशाला प्रबंधन एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ हुई है। निराश्रित गोवंश की उचित देखभाल एवं गोशालाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु अन्य गोशालाओं को भी निजी अक्षय पात्र फाउण्डेशन अथवा ऐसे ही सहयोगकर्ताओं के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
- मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी एवं गौहत्या रोकने के लिये अतिरिक्त चौकियां खोली जायेगी।
- प्रत्येक जिले में गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
- गौ–नस्ल सुधार को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पशुपालन को लाभकारी बनाने की दृष्टि से कार्य किया जायेगा।
- गौ अभयारण्य के लिए संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।
- गोचर व ओरण भूमि पर बारिश के समय मनरेगा योजना में धामन घास की बुवाई करवायी जायेगी।

- ❖ भेड़ पालक सहकारी समितियों के गठन करवाये जायेंगे।
- ❖ जनजाति पशुपालकों के लिये नरेगा अन्तर्गत पशु आश्रय स्थल निर्मित किये जाएंगे।
- ❖ गौचर भूमि का विकास करने हेतु राज्य गौचर विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा।
- ❖ गोबर से बायोगैस, खाद्, बायो पेट्रोल निर्माण में उपयोग हेतु करने की योजना तैयार की जाएगी।
- ❖ वेदलक्षणा गौ माता की रक्षा, पोषण व संवर्धन हेतु सर्वविदित उपाय किये जायेगे। गौवंश सेवकों को सरकार द्वारा विशिष्ट गौ सेवक सम्मान से सम्मानित किया जायेगा। गोचर भूमि को कब्जा सुरक्षित कर उसका विकास किया जाएगा।

17. पत्रकार कल्याण

- ❖ पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जायेगा। पत्रकारों पर हमले, धमकियों को गैर जमानती अपराध घोषित किया जायेगा। पत्रकारिता कार्य के दौरान हमले में हताहत और घायल पत्रकारों को सरकार की तरफ से उचित राहत एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

- ❖ पत्रकार एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा बीमा राशि 3 लाख से वृद्धि कर 5 लाख एवं अस्पताल में भर्ती होने पर पूर्ण निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की नवीन योजना लागू की जायेगी।

- ❖ वयोवृद्व पत्रकारों हेतु पेंशन योजना लागू की जायेगी।

- ❖ प्रदेश में पत्रकार आवास योजना में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।

- ❖ लघु व मझौले समाचार पत्रों (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक) को विज्ञापन का आवंटन निर्धारित योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

- ❖ जनसम्पर्क निदेशालय में पत्रकारो के लम्बित प्रकरणों का शीघ्रताशीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

- ❖ पत्रकारों की मान्यता तथा अखबारों/टीवी चैनलों एवं रेडियो स्टेशन के सूचीबद्ध की प्रक्रिया ऑन लाइन की जाएगी।

18. चिकित्सा व स्वास्थ्य

- चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जायेगा।
- सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ कर मरीजों के उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
- वर्तमान में प्रदेश की दो–तिहाई आबादी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए ***Universal Health Insurance*** की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे।
- टेक्नोलॉजी (Technology) एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में श्रेष्ठ विशेष फार्मा पार्क की स्थापना की जायेगी। फार्मा रिसर्च प्रोत्साहन के लिये फार्मा आरएन्डडी को बढावा दिया जायेगा।
- घरेलु फार्मा उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु दवा खरीद में गुणवत्ता के आधार पर राज्य की निर्मित दवाईयों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- मेडिकल डिवाईस (सर्जिकल आईटम) की जांच हेतु अत्याधुनिक विशेष प्रयोगशाला का निर्माण किया जायेगा।
- फार्मा सेक्टर को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहायता, सब्सिडी, इनसेन्टिव आदि की दी जायेगी। रीको में एक "फार्मा उधोग विकास सेल" की स्थापना की जायेगी।
- स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत डॉक्टर/नर्स एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कुपोषित एवं विशेष "नीड एण्ड केयर'' (Need and Care) वाले बच्चों का विशेष ध्यान देने हेतु पाबन्द किया जायेगा।
- सेवानिवृत चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ का पैनल तैयार कर स्थानीय स्तर पर उनकी सेवाएं लेने के कार्य योजना बनाई जायेगी।
- आयुर्वेद विभाग को वन–विभाग के साथ मिल कर वनों में आयुर्वेदिक पौधे लगाये जायेंगे ताकि औषधियों को तैयार करने के लिये शुद्व कच्चा माल मिल सके।
- सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।

- ❖ समस्त जिला अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से एम.आर.आई. एवं सिटीस्केन मशीनें लगायी जायेंगी तथा निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

- ❖ राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जायेगा।

- ❖ राजस्थान में योग बोर्ड का गठन किया जायेगा।

- ❖ शिक्षण संस्थाओं में योग को अनिवार्य किया जायेगा।

19. सुशासन

- ❖ विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और दक्ष बनाने के लिए चरणबद्ध रूप से एकीकृत ***Control Rooms*** स्थापित किये जाएंगे जिनके माध्यम से ***IOT (Internet of things)*** संबंधी गतिविधियां, ***GIS based analysis*** एवं ***online transactions*** की ***Real-time Monitoring*** संबंध हो सकेगी।

- ❖ पुलिस व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण घटक यथा अन्वेषण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा।

- ❖ शहरों एवं राजमार्गों के लिये आधुनिक तकनीक पर आधारित यातायात प्रबंधन एवं यात्री सुरक्षा प्रणाली विकसित की जायेगी।

- ❖ राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारणों और राज्य आपदा आपातकालीन विमोचन दल का नागरिक सुरक्षा दस्ता तथा होमगार्ड सहित सुदृढीकरण किया जायेगा।

- ❖ राज्य सरकार के कांउटर इनसरजेंसी, उग्रवाद, साम्प्रदायिकता, नियोजित अपराध, साइबर एवं हाइटैक अपराध और एंटी टेरेरिज्म आदि क्षेत्रों की अधोसंरचना एवं प्रशिक्षण को सशक्त करके गुणवता को निरन्तर बेहतर बनाया जायेगा।

- ❖ गैर–शासकीय औद्योगिक एवं अन्य इकाईयों की सुरक्षा हेतु पृथक विशेषज्ञ संस्था का राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में गठन का प्रयास किया जाएगा।

20. अन्य क्षेत्रों में

- ❖ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत सभी रिक्त पदों को एक वर्ष में अभियान चलाकर भरेंगे।
- ❖ क्रीमी लेयर (Creamy Layer) को केन्द्र सरकार के समकक्ष करेंगे।
- ❖ विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय एवं सहायता को शामिल करते हुए ***Universal Basic Income*** की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
- ❖ राज्य को शहरी स्लम (Slum) क्षेत्र से मुक्त करने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी।
- ❖ प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध की योजना लागू की जायेगी।
- ❖ मेवात क्षेत्र में धार्मिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों को विकसित किया जायेगा।
- ❖ सभी धर्मावलम्बियों के अंतिम संस्कार स्थलों पर होने वाले अतिक्रमण रोकने तथा इनका विकास करने के लिये मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड का गठन किया जायेगा।
- ❖ जैन समाज के लिए हॉस्टल का निर्माण एवं साधु संतो के चातुर्मास हेतु उपयुक्त जगह पर भूमि आवंटन किया जायेगा।
- ❖ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित कर लागू किया जाये, ताकि अधिवक्ता सुरक्षित होकर पक्षकार की पैरवी कर सके।
- ❖ अधिवक्ताओं के वैलफेयर फण्ड में सरकार आनुपातिक योगदान करेगी।
- ❖ विभिन्न न्यायालय में पक्षकार व अधिवक्ताओं को बैठने के लिये सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- ❖ लघु उधोग के माध्यम से स्वरोजगार (Skill Development) भरण पोषण करने वाली छोटी–छोटी जातियों हेतु स्किल डवलपमेन्ट की योजनाओं का विकास किया जायेगा एवं रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

- ❖ घुमन्तु जातियों के कल्याण हेतु बजट में वृद्धि की जायेगी व घुमन्तु परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूमि आंवटन तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
- ❖ घुमन्तु समुदाय के बालकों के लिये आवासीय विद्यालय, छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे।
- ❖ घुमन्तु समुदाय के लोगों के अस्तित्व के आवश्यक सरकारी दस्तावेज (वोटर आईडी, आधार कार्ड, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आदि) बनाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ घुमन्तु समुदाय के विकास के लिये राज्य में एक पृथक से घुमन्तु, अर्धघुमन्तु एवं विमुक्त जनजाति बोर्ड की स्थापना की जायेगी।
- ❖ घुमन्तु समाज की विलुप्त हो रही कलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष योजनाओं का निर्माण किया जायेगा।
- ❖ घुमन्तु समुदाय की किशोरियों को आंगनबाड़ी से जोड़ा जायेगा।
- ❖ केशकला बोर्ड के बजट में समुचित इजाफा किया जायेगा।
- ❖ केश कला की तर्ज पर स्वर्ण कला/रजत कला/काष्ठ कला आदि कार्यों के उत्थान हेतु इनके भी बोर्ड गठित किये जायेंगे।
- ❖ राज्य में बंगलादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर देश से बाहर भेजने की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ पाकिस्तान से विस्थापित बच्चे हुये हिन्दुओं को नागरिकता देने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ राज्य के समस्त ग्रामों में चरणबद्ध रूप से सार्वजनिक श्मशानो की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ भगवान परशुराम बोर्ड का गठन किया जायेगा।
- ❖ राज्य के जिला केन्द्रों, उपखण्ड मुख्यालय आदि स्थानों पर विभिन्न वंचित समाजों को सामुदायिक भवनों, छात्रावासों के लिये रियायती दर पर भूमि आंवटित की जायेगी।
- ❖ नाथ समाज के मठों/आसनों का पुनरोद्धार/जीर्णोद्धार किया जायेगा। गुरू गोरक्षनाथ के पुराने योग व तंत्र के अधिष्ठाता की साहित्यिक ग्रंथो हेतु लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी।

- ❖ अनैतिक/बुरे कार्यो/गलत कार्यों हेतु "गोरखधंधा' शब्द को प्रतिबंधित कर दण्डित किये जाने का कानून बनाया जायेगा।

- ❖ गुरू गोरक्षनाथ जी के बारे में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की पुस्तको में शामिल किया जायेगा, तथा योग के योगदान के बारे में पढ़ाया जायेगा। गुरू गोरक्षनाथ जी का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जायेगा।

- ❖ सामाजिक सेवा प्रदाय योजनाओं के लाभ से संबंधित जानकारी से प्रसार के लिये जागरूकता अभियानों के आयोजन हेतु संचालित राज्य संस्थानों, समुदायों और गैर–सरकारी संस्थाओं का समावेश किया जायेगा।

- ❖ प्रदेश सरकार की योजनाओं, नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इन्डेक्स (Happiness Index) को एक पैरामीटर के रूप में लिया जायेगा।

- ❖ शीघ्र व सुलभ न्याय हेतु निचले अदालत के सभी रिकॉर्डस का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

- ❖ मंदिरों की देखभाल व पूजा सुश्रुषा के लिये सम्बन्धित भूमि के 40 प्रतिशत भाग की धर्म सेवा प्रधान व्यवसायिक उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी।

- ❖ राज्य में लघु एवं छोटे व्यापारियों को कानूनी सलाह के लिये जिला स्तर पर कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति की जायेगी।

- ❖ राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार की तर्ज पर विकसित किया जायेगा।

राजस्थान गौरव संकल्प समिति – 2018

1.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	अध्यक्ष
2.	श्री गुलाब चन्द कटारिया	सदस्य
3.	श्री अर्जुनराम मेघवाल	सदस्य
4.	श्री ओंकार सिंह लखावत	सदस्य
5.	श्री राव राजेन्द्र सिंह	सदस्य
6.	श्री अरूण चतुर्वेदी	सदस्य
7.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	सदस्य
8.	श्री किरोड़ी लाल मीणा	सदस्य
9.	डॉ. ज्योति किरण	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	डॉ. बीरू सिंह राठौड़	कार्यालय सचिव

भारतीय जनता पार्टी
राजस्थान प्रदेश

भाजपा

राजस्थान के विकास की ओर....

कहो दिल से, भाजपा फिर से

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान द्वारा प्रकाशित